न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

160

वाद सं०— 117 /2018

धारा—107 द०प्र०सं०

मुचीराम महतो .... बनाम शरत चन्द्र महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं०—एम 117 / 2018, में द०प्र०सं० की धारा—107 के तहत थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०— 28/18 दिनांक-16-8-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता 10 प्लोट नं० 700 जमीन पर सीमांकन को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि 08/10/18 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।	
	(हस्ताक्षर) 20/09/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।	

(70)

पृष्ठ सं०-..........

तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	द्वितीय पक्ष अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिया गया कि द्वितीय पक्ष का गवाह रांची में पदस्थापित है लोकसभा चुनाव हेतु रांची में प्रतिनियुक्त है अतः साक्षी गवाही हेतु अगली तिथि की मांग की गई। प्रथम पक्ष की ओर से आवेदन देकर निवेदन किया गया कि वाद की समय सीमा 8-5-19 को समाप्त हो रही है एवं द्वितीय पक्ष का साक्षी गवाही होना बाकी है वाद के तीन माह का अवधि विस्तार किया जाए। प्रथम पक्ष की ओर से अवधि विस्तार हेतु दिए गए आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है दिनांक 22.04-19 को रखें। (हस्ताक्षर) 05/04/19	
22-04-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद के 6 (छ) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 22/04/19	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.26 15:07:11 +05:30
Location: 10.93.79.5